कार्यालय जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी, जनपद–इटावा

संख्याः 1193 / जि0आ0अ0–इटावा / आब0दु0–व्यवस्थापन / 2018–19 / ई–लाटरी दिनांकः 06 अप्रैल, 2018

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी आयुक्त,उ0प्र0,इलाहाबाद के पत्र संख्या–1347–1421 / दस–लाइसेंस–367 / सुझाव आबकारी नीति / 2018–19 दिनांक इलाहाबाद 06,अप्रैल,2018 से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद इटावा की प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की ई–लाटरी के बाद अवशेष देशी शराब एवं बीयर की दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2018–19 के लिए ई–लाटरी प्रणाली द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। इस क्रम में जनपद इटावा के लिए स्वीकृत दुकानों की संख्या के आधार पर देशी शराब की 09 तथा बीयर की 01 दुकानो का व्यवस्थापन ई–लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से कराया जाना निश्चित हुआ है। किसी दुकान के लिये आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं के नाम से एक तथा सहआवेदक के साथ अधिकतम एक कुल मिलाकर अधिक से अधिक दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेगे। किसी भी आवेदक के पक्ष में (स्वयं अथवा सहआवेदक के साथ) एक जनपद में सभी प्रकार (देशी शराब / वियर) की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवटित नहीं की जायेगी। जनपद इटावा की फुटकर बिक्री की देशी शराब एवं बीयर की दुकानों के लिए ई–आवेदन करने हेतु आवेदकों को ई–पोर्टल पर चार चरणों से गुजरना होगा। इस प्रकार आबकारी दुकानों के लिए आवेदन हेतु आवेदकों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रखनी आवश्यक होगी, जो इस प्रकार हैः–

1. एन0आई0सी0 कार्यालय द्वारा विकसित ई–पोर्टल upexciseelottery.gov.in पर उक्त दुकानों से सम्बन्धित एम0जी0क्यू0 / बे0ला0फीस / लाइसेंस फीस / प्रतिभूति धनराशि तथा हैसियत प्रमाण पत्र सहित सम्पूर्ण विवरण प्रदर्शित होगा, जिसके अनुसार इच्छुक आवेदक दुकान का चयन कर सकता है।
2. ई–लाटरी प्रणाली के अनुसार किसी भी आवेदक को सर्वप्रथम अपने को ई–पोर्टल पर पंजीकृत कराना होगा। पंजीकरण के समय आवेदक को अपना आधार नम्बर एवं उसके नीचे दिया गया कैप्चा भरना होगा। यह कार्य करते समय आवेदक के आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नं0 पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा, जिसे आवेदक को यथा स्थान पर भरना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जायेगा, जिसमें आवेदक को पैन नम्बर सहित वांछित सूचनाए भरनी होंगी।
3. किसी भी आवेदक के सफल पंजीकरण पर उसकी एक रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड उसके मोबाइल नम्बर / ई–मेल पर प्रेषित हो जायेगा।
4. उक्त रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड के आधार पर पंजीकृत आवेदक पोर्टल में प्रवेश पा सकेगा। प्रवेश करते समय आवेदक को अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहा जायेगा। आवेदक को नया पासवर्ड जनरेट करना होगा, ताकि भविष्य में नये पासवर्ड के आधार पर ही आवेदक का पोर्टल में प्रवेश सम्भव हो सकेगा।
5. पोर्टल में प्रवेश करके आवेदक अपनी आवश्यकतानुसार जनपद की देशी शराब / विदेशी मदिरा / बीयर दुकानों की प्रत्याभूत मात्रा (एम0जी0क्यू0) बेसिक लाइसेंस फीस / लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
6. किसी दुकान के लिए उक्त सूचनाओं के आधार पर आवेदन की तैयारी आवेदक कर सकता है। देशी शराब एवं बीयर की दुकानों के लिये देय प्रोसेसिंग फीस, जी0एस0टी0 की धनराशि, अर्हताओं आदि का विवरण भी आवेदक के लिए पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। इसलिए आवेदक का पूर्ण रूप से संतुष्ट होना आवश्यक है।
7. आवेदन करते समय आवेदक को अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, JPG अथवा JPEG फारमेट में 10KB से 100KB तक, हैसियत प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विगत वर्ष की आयकर विवरणी एवं शपथ–पत्र की स्कैन कापी कम्प्यूटर में / पैन ड्राईव में तैयार रखनी होगी, ताकि आवेदन अपलोड करते समय वह अभिलेख आवेदक के पास उपलब्ध रहे।

–––2

8. किसी दुकान के लिए आवेदन चार चरणों में पूर्ण होगा। पहले चरण में आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु दुकान का चयन करेगा। यदि सहआवेदक के साथ आवेदन करता है, तो सहआवेदक का विवरण भी भरना होगा। इसके बाद द्वितीय चरण में अभिलेख यथा हैसियत प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विगत वर्ष की आयकर विवरणी एवं शपथ–पत्र की स्कैन कापी तथा फोटो अपलोड करनी होगी। तत्पश्चात तृतीय चरण में उसे ई–पेमेन्ट के माध्यम से प्रोसेसिंग फीस, जी0एस0टी0 एवं धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जमा करनी होगी। यह कार्य करने से पूर्व आवेदक को अपना बैंक एकाउन्ट का डिटेल/आई0एफ0एस0सी0 (IFSC) कोड आदि भरना होगा, ताकि चयनित न होने की दशा में आवेदक की धरोहर धनराशि वापस हो सके।
9. चतुर्थ चरण में आवेदक को भरे हुए आवेदन पत्र की प्रिंट लेने की सुविधा होगी तथा पेमेंट किये जाने से पूर्व वह अपने आवेदन में संशोधन भी कर सकता है, लेकिन यदि उसके द्वारा ई–पेमेंट कर दिया गया है तो कोई संशोधन अनुमन्य नहीं होगा।
10. आवेदक को समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात एक पावती रसीद, जिसमें समस्त सूचनायें अंकित होगी का प्रिंट आवेदक ले सकता हैं।
11. ज़नपद इटावा की विज्ञप्ति में देशी मदिरा के कालम क्रमांक–4 में अंकित (MGQx28) के बराबर बे0ला0फीस चयन के पश्चात आवेदक को तीन दिवस के अन्दर व (MGQx22.2) के बराबर प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग दस दिवस के अन्दर व शेष भाग अगले दस दिवस के अन्दर जमा करना होगा तथा (MGQx2.8) के बराबर की राशि धरोहर धनराशि के रूप में एवं दुकान के प्रकार के लिए निर्धारित वांछित प्रोसेसिंग शुल्क की राशि व जी0एस0टी0 भी आवेदन करते समय ई–पेमेंट द्वारा आवेदक को ऑन लाइन जमा करना होगा।
12. बीयर दुकानों की लाइसेंस फीस का 1/10 वें भाग के बराबर आवेदन के समय धरोहर धनराशि ई–पेमेंट द्वारा जमा किया जायेगा तथा लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि चयन के पश्चात तीन दिवस के अन्दर तथा प्रतिभूति धनराशि, जो लाइसेंस फीस का 1/10 वॉ भाग के बराबर होगी, दुकान चयन के पश्चात दो भागों में चयन की तिथि से 20 दिवस के अन्दर आवेदक को किसी भी कार्यालय दिवस में जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर जमा करना अनिवार्य होगा।
13. उक्त प्रक्रिया एन0आई0सी0 कार्यालय द्वारा आबकारी विभाग के लिए विकसित वेवसाईट http://upexciseelottery.gov.in पर Online e-Lottery Portal लॉग आन कर की जा सकती है। तृतीय चरण मे आवेदको के लिए ऑन लाइन आवेदन करने हेतु उक्त साइट दिनांक 07.04.2018 को प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 12.04.2018 को रात्रि 11.30 बजे तक आवेदन हेतु खुला रहेगा। उक्त के अतिरिक्त आबकारी नीति की विस्तृत जानकारी आबकारी विभाग की वेबसाइट www.upexcise.in एवं इटावा की वेबसाइट www.etawah.nic.in पर उपलब्ध होगी। अन्य किसी जानकारी के लिए कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, इटावा एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।

समयसारणी

1	तृतीय चरण में आन लाइन आवेदन करने की अवधि	दिनांक 07–04–2018 की प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 12–04–2018 को रात्रि 11.30 बजे तक
2	प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण	13.04.2018 से 15.04.2018 तक
3	ई–लाटरी की तिथि/समय एवं स्थल	दिनांक 16–04–2018 को प्रातः 09.00 बजे से, स्थल–नवीन सभागार, विकास भवन के इटावा

नोटः–

4. ई–लाटरी में आवेदन करने के लिए वेबसाइट http://upexciseelottery.gov.in लॉगइन कर रजिस्ट्रेशन कराकर आवेदन किया जा सकता है।
5. इस सम्बन्ध में आवश्यकता पड़ने पर मो0 नं0–9454466043 व ई–मेल upexcise100@gmail.com से किसी असुविधा के लिए जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

6. जनपद इटावा में किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर जानकारी प्राप्त करने हेतु हैल्प डैस्क स्थापित किया गया है, जिसका नम्बर 05688253782 है, इसके अतिरिक्त मोबाइल नम्बरों 9454466317, 9454466318, 9454466319, 9415437328 एवं 7579973945 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

जनपद इटावा की प्रथम एवं द्वितीय चरण की ई–लाटरी से अवशेष फुटकर देशी शराब/बीयर की दुकानों का व्यवस्थापन तृतीय चरण में वर्ष 2018–19 के लिए उपरोक्त ई–लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से सम्पन्न कराया जाना है दुकानों का पूर्ण विवरण जिसमें देशी मदिरा का एम0जी0क्यू0/बेसिक लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि, प्रतिभूति धनराशि तथा बीयर के वर्ष 2018–19 के व्यवस्थापन हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि एवं धरोहर धनराशि एवं वांछित हैसियत प्रमाण–पत्र का सम्पूर्ण विवरण प्रकाशित करते हुए सर्वसाधारण से इस प्रकार आवेदन पत्र आंमत्रित किये जायेगे। इस चरण में धरोहर धनराशि,प्रोसेसिंग शुल्क व जी0एस0टी0 के भुगतान की प्रकिया द्वितीय चरण के समान रहेगी।

संलग्नक :– दुकानों का सम्पूर्ण विवरण/सूची प्रकाशन हेतु।

(हस्ताक्षर) 06/04/18
जिला आबकारी अधिकारी,
इटावा।

(हस्ताक्षर) 6.4.2018
जिलाधिकारी
इटावा।

पत्रांकः 1194/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–प्रधान सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र–दैनिक जागरण एवं अमर उजाला इटावा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति अगले दिन प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में न्यूनतम सरकारी दर एवं न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कराने का कष्ट करे तथा बिल दो प्रतियों में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करे।

(हस्ताक्षर) 06/04/18
जिला आबकारी अधिकारी
इटावा।

देशी शराब दुकान

क्रम सं0	दुकान का नाम	दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2018–19 हेतु निर्धारित कोटा 36 प्रतिशत v/v (ब0ली0)	वर्ष 2018–19 हेतु बेसिक लाइ0फीस0 28 रु0 प्रति ली0 की दर से	देय प्रतिभूति धनराशि रु0 में	धरोहर धनराशि रु0 में	वांछित हैसियत रु0 में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नया शहर (नौरंगाबाद चौराहा से रेलवे रोड पुलिस चौकी के मध्य)	नगरपालिका	64800	1814400	1438560	181440.00	2700000
2	तकिया	नगरपालिका	60660	1698480	1346652	169848.00	2527500
3	पक्कातालाब	नगरपालिका	60408	1691424	1341058	169142.40	2517000
4	चन्दरपुरकला	ग्रामीण	13404	375312	297569	37531.20	558500
5	नगलागौर	ग्रामीण	10044	281232	222977	28123.20	418500
6	चन्दरपुरा (तिरखी त्रिलोकपुर)	ग्रामीण	7128	199584	158242	19958.40	297000
7	जसवन्तनगर–1	नगरपालिका	93168	2608704	2068330	260870.40	3882000
8	जसवन्तनगर नं0–3	नगरपालिका	78468	2197104	1741990	219710.40	3269500
9	कटेखेड़ा	ग्रामीण	11112	311136	246687	31113.60	463000
	योग		399192	11177376	8862065	1117737.60	

बीयर दुकान

क्रमांक	बीयर दुकान का नाम	दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2018–19 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस रु0	वर्ष 2018–19 हेतु देय प्रतिभूति राशि रु0	वर्ष 2018–19 हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि रु0	वांछित हैसियत रु0 में
1	2	3	4	5	6	7
1	चितभवन तिराहा	ग्रामीण	920000	92000	92000	920000

(हस्ताक्षर) 06/04/18
जिला आबकारी अधिकारी
इटावा